संख्या-2/3201/33-3-2014-100(12)/2014

प्रेषक,

एस0पी0 सिंह
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 15 जनवरी, 2015

विषय-वित्तीय वर्ष 2013-14 में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स की व्यवस्था को पूर्ण कराने हेतु वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-14 में अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 260.977 लाख अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 5/2004/2014-5/54/2014 दिनांक 21 नवम्बर, 2014 के संदर्भ में समग्र ग्राम विकास विभाग के शासनादेश संख्या-447/66-2012-05/2012, दिनंाक 17-05-2012 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत आंतरिक गलियों एवं नालियों के निर्माण के संबंध में पंचायती राज अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 1266/33-2-2012-4आर0डी0/12, दिनांक 13 जून, 2012, शासनादेश संख्या- 89/33-3-2013-100(20)/2012, दिनांक 28 जनवरी, 2012 तथा शासनादेश संख्या-366/33-3-2013-100(20)/2012, दिनांक 06 जनवरी, 2013 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंध एवं वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 तथा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-2-3361/दस-2014-244/2014 दिनांक 28 नवम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या- 14 के अन्तर्गत 2014-15 में उक्त योजना के लिए प्रावधानित 30000.00 लाख की सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। अनुपूरक अनुदान के माध्यम से इस योजनान्तर्गत रू0 36210.61 लाख की धनराशि की अतिरिक्त बजट व्यवस्था की गयी है। अनुपूरक अनुदान के माध्यम से की गयी उक्त बजट व्यवस्था में से वित्तीय वर्ष 2013-14 की अवशेष ग्रामों में कार्यो को पूर्ण कराने हेतु रू0 260.977 लाख की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टर लाकिंग टाइल्स के निर्माण हेतु वर्ष 2014-15 में प्रावधानित एवं स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व निदेशक, पंचायती राज स्वयं अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध है, प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा विभाग इस धनराशि को आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2014-15 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/ उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014, वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- वी-2-2528/दस-2014-10/77 दिनांक 26 अगस्त, 2014, वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-2-3361/दस-2014-244/2014 दिनांक 28 नवम्बर, 2014 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कडाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि संबधित जिलाधिकारियों को आवंटित की जायेगी, जो इस आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेंगे। संबधित कार्यदायी संस्था

http://shasanadesh.up.nic.in

इस धनराशि को डिपाजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल. पद्धति से व्यय करेंगे। अधिष्ठान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष " 1054'सडक तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियों -01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्ति लेखा शीर्षक" 0515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य प्राप्तियों -02-प्रतिशतता प्रभारी की वसूली " में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा।

(5) उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीक़ति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-14 के "लेखाशीर्षक 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-पंचायती राज-06-सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टर लाकिंग टाइल्स की व्यवस्था- 24-ब्रहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

(7) सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) शासकीय व्यय में मितब्यतता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितब्यतता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- सीए-934/दस-2008-मित-1/2007 दिनांक 2-9-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(9) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आंवटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

(11) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीक़ति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य कर ली जाय।

(12) उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर निदेशक,पंचायती राज स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होंगे।

2- यह ओदश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-2-41/दस-2015 दिनांक 13.01.2015 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग/वित्त विभाग/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग,उ0प्0शासन।
3- निदेशक एवं मुख्य मुख्य अभियन्ता,ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0, लखनऊ।
4- समस्त संबंधित जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ//कलेक्ट्रेट लखनऊ।
6- समस्त संबंधित मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ,लखनऊ।
8- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
9- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.

शासनादेश संख्या-2/3201/33-3-2014-100(12)/2014 दिनांक 15 जनवरी, 2015 का संलग्नक।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 में सी0सी0 रोड के साथ नाली या के0सी0ड्रेन निर्माण हेतु सामान्य (अनुदान संख्या- 14) के अन्तर्गत शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या- 14 में अनुपूरक मांगों के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि से अवमुक्त करने का जनपदवार फॉट।

अनुदान संख्या- 14 (धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	प्रस्तावित धनराशि		
		सी0सी0 रोड एवं के0सी0ड्रेन का निर्माण (कार्यान्श)	अधिष्ठान अंश 6.875 प्रतिशत की धनराशि	कुल योग
1	2	3	4	5
1	लखनऊ	1.630	0.120	1.750
2	हरदोई	1.630	0.120	1.750
3	सीतापुर	2.771	0.205	2.976
4	खीरी	4.171	0.308	4.479
5	रायबरेली	1.630	0.120	1.750
6	उन्नाव	2.840	0.210	3.050
7	वाराणसी	3.890	0.287	4.177
8	चन्दौली	2.983	0.220	3.203
9	जौनपुर	6.802	0.502	7.304
10	गाजीपुर	3.682	0.272	3.954
11	मिर्जापुर	2.681	0.198	2.879
12	सोनभद्र	0.911	0.067	0.978
13	भदोही	2.702	0.199	2.901
14	आजमगढ	5.523	0.408	5.931
15	मऊ	2.840	0.210	3.050
16	बलिया	5.523	0.408	5.931
17	बस्ती	3.330	0.246	3.576
18	सिद्धार्थनगर	4.450	0.329	4.779
19	सन्तकबीर नगर	3.612	0.267	3.879
20	बरेली	4.450	0.329	4.779
21	शाहजहांपुर	3.682	0.272	3.954
22	बदायूँ	4.752	0.351	5.103
23	पीलीभीत	2.138	0.158	2.296
24	इलाहाबाद	5.452	0.403	5.855
25	कौशाम्बी	1.491	0.110	1.601
26	प्रतापगढ	4.171	0.308	4.479
27	फतेहपुर	2.471	0.182	2.653
28	फैजाबाद	2.702	0.199	2.901
29	बाराबंकी	2.471	0.182	2.653
30	अम्बेडकरनगर	3.051	0.225	3.276
31	सुल्तानपुर	2.771	0.205	2.976
32	अमेठी	2.542	0.262	3.804
33	गोण्डा	5.172	0.382	5.554
34	बलरामपुर	3.542	0.262	3.804
35	बहराइच	3.262	0.241	3.503
36	श्रावस्ती	3.330	0.246	3.576

http://shasanadesh.up.nic.

37	कानपुर नगर	2.471	0.182	2.653
38	कानपुर देहात	2.840	0.210	3.050
39	फर्रूखाबाद	2.687	0.198	2.885
40	इटावा	2.191	0.162	2.353
41	औरैया	1.980	0.146	2.126
42	कन्नौज	3.262	0.241	3.503
43	मुरादाबाद	4.611	0.340	4.951
44	सम्भल	3.612	0.267	3.879
45	रामपुर	3.612	0.267	3.879
46	बिजनौर	3.190	0.235	3.425
47	अमरोहा	2.911	0.215	3.126
48	आगरा	3.821	0.282	4.103
49	मथुरा	3.682	0.272	3.954
50	मैनपुरी	3.751	0.277	4.028
51	फिरोजाबाद	4.382	0.324	4.706
52	अलीगढ	3.612	0.267	3.879
53	हाथरस	2.191	0.162	2.353
54	कासगंज	2.471	0.182	2.653
55	एटा	3.472	0.256	3.728
56	झाँसी	1.280	0.095	1.375
57	ललितपुर	1.776	0.126	1.902
58	जालौन	1.771	0.131	1.902
59	मेरठ	3.262	0.241	3.503
60	बागपत	3.101	0.229	3.330
61	गाजियाबाद	2.541	0.188	2.729
62	हापुड	2.541	0.188	2.729
63	गौतमबुद्धनगर	1.140	0.084	1.224
64	बुलन्दशहर	3.401	0.251	3.652
65	सहारनपुर	3.262	0.241	3.503
66	मुजफफरनगर	6.082	0.449	6.531
67	शामली	3.472	0.256	3.728
68	चित्रकूट	2.120	0.157	2.277
69	बांदा	3.311	0.244	3.555
70	हमीरपुर	1.980	0.146	2.126
71	महोबा	1.630	0.120	1.750
72	गोरखपुर	4.032	0.298	4.330
73	महराजगंज	4.749	0.351	5.100
74	देवरिया	3.542	0.262	3.804
75	कुशीनगर	5.242	0.387	5.629
महायोग:-		243.035	17.742	260.977

(रूपया दो करोड साठ लाख सत्तान्बे हजार सात सौ मात्र)

(एस0 पी0 सिंह)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.